

गंगानगर
धारा-6(1)

क्रम-संख्या-243(क-1)



रजिस्ट्रेशन नम्बर-जी०-11/लाई०

न्यून पेपर/91/05-00

लाइसेंस दू पोस्ट एट कमिशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 19 अक्टूबर, 2006

आश्विन 27, 1928 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

संख्या 4604/8-3-2006-01एल०ए०-2006

लखनऊ, 19 अक्टूबर, 2006

अधिसूचना

प०आ०-2101

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) और धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन जारी की गयी सरकारी अधिसूचना संख्या 18/8-3-2006-01एल०ए०-2006, दिनांक 20 जून, 2006 के क्रम में श्री राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन घोषणा करते हैं कि उनका समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन, अर्थात् सुनियोजित विकास योजनान्तर्गत मौजा चौदपुर, अकबरपुर, परगना बरन, जनपद बुलन्दशहर में बुलन्दशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण द्वारा गंगानगर आवासीय कालोनी बनाने के लिए आवश्यकता है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन बुलन्दशहर के कलेक्टर को निर्देश देते हैं कि वे उक्त भूमि का अर्जन करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें।

2-चूँकि श्री राज्यपाल महोदय का समाधान हो गया है कि यह मामला आत्ययिक है इसलिए वे उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि यद्यपि धारा 11 के अधीन कोई अभिनिर्णय नहीं दिया गया है, बुलन्दशहर के कलेक्टर उक्त लोक प्रयोजन के लिए नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर कब्जा धारा 9 की उपधारा (1) में उल्लिखित सूचना के प्रकाशन से 15 दिन के अवसान पर कर सकते हैं।

टिप्पणी-अधिसूचना में उल्लिखित अनुसूची अंग्रेजी अनुवाद के साथ नीचे दी गयी है।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 4604/VIII-3-2006-01-LA-2006, dated October 19, 2006 for general information :

No. 4604/VIII-3-2006-01-LA-2006

Dated Lucknow, October 19, 2006

IN continuation of Government notification No. 18/VIII-3-2006-01-LA-2006, dated June 20, 2006 issued under sub-section (1) of section 4 and sub-section (4) of section 17 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act no. 1 of 1894), the Governor is pleased to declare under section 6 of the said Act that he is satisfied that the land mentioned in Schedule below is needed for a public purpose namely, for the construction of Ganga Nagar Residential Colony scheme at villages Chandpur and Akbarpur, Pargana Baran, district Bulandshahr by the Bulandshahr-Khurja Development Authority, Bulandshahr under a planned development scheme and under section 7 of the said Act to direct the Collector, Bulandshahr to make order for the acquisition of the said land.

2. The Governor, being satisfied that the case is one of urgency, is further pleased under sub-section (1) of section 17 of the said Act to direct that the Collector of Bulandshahr, though no award under section 11 has been made, may, on the expiration of fifteen days from the publication of the notice mentioned in sub-section (1) of section 9, take possession of the land mentioned in the Schedule below for the said public purpose.

अनुसूची
SCHEDULE

जिला District	परगना Pargana	मौजा Village	गाटा संख्या Plot no.	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टे० में) Area being Acquired (in Hectare)
1	2	3	4	5
बुलन्दशहर Bulandshahr	बरन Baran	चौदपुर Chandpur	3	2.077
			5	0.096
			6	0.071
			7	0.240
			8	0.290
			11	1.060
			13	0.308
			14	0.372
			17	0.425
			18	0.697
			19/1	2.077
			21/1	0.349
			22	0.650
			23	1.614
			24	1.859
			26 M	0.624
			37 M	0.504
			38/1	0.656

	2	3	4	5
बुलन्दशहर	बरन	अकबरपुर	392/1	0.335
(समाप्त)	(समाप्त)	(समाप्त)	392/2	0.028
Bulandshahr	Baran	Akbarpur	392/3	0.028
(Concl'd.)	(Concl'd.)	(Concl'd.)	392/4	0.028
			392/5	0.084
			392/6	0.168
			393	0.084
			394/1	1.158
			394/2	0.423
			396/1	0.396
			396/2	0.790
			397/1	0.631
			397/2	0.291
			397/3	0.341
			398	0.139
			399	0.146
			401	1.135
			402	0.006
			403	0.139
			404	0.492
			405/1	1.481
			406	0.140
			409/1	0.895
			410/1	0.791
			413/1	1.450
			414	0.368
			417	1.405
			420	0.806
			421	0.038
			434	0.443
			435	0.044
			436/1	0.379
			436/2	0.379
			436/3	0.605
			437	2.478
			438	0.620
			439	0.404
			469	1.025
			460/1	1.351
			464/1	0.194

योग :

Total :

36.107 हेक्टेयर

Hectares

किस प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- बुलन्दशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर द्वारा सुनियोजित विकास योजनान्तर्गत गंगानगर आवासीय कालोनी बनाने के लिए आवश्यकता है।

For what purpose required :- For the construction of Ganga Nagar Residential Colony scheme under planned development scheme by Bulandshahr-Khurja Development Authority, Bulandshahr.

टिप्पणी :- उक्त भूमि का स्थल नक्शा, बुलन्दशहर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

NOTE :- A site plan of the land may be inspected in the Office of the Collector, Bulandshahr.

आज्ञा से,
के० एल० मीना,
सचिव।

By order,
K. L. MEENA,
Sachiv.